अपील

स्वास्थ्य मंत्री की कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) की स्थापना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फिलहाल, 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे वाले कैंसर रोगियों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रु. की राशि के साथ राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत की गई है। इस राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज को सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में रोगियों के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। हम आग्रहपूर्वक सभी व्यक्तियों, ट्रस्टों, कॉरपोरेट एवं निधियन एजेंसियों से गरीब एवं जरूरतमंद कैंसर रोगियों की मदद करने के लिए अधिक से अधिक दान देने के लिए अपील करते हैं। आरएएन के तहत दिए जाने वाले दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के तहत करमुक्त हैं। आरएएन से संबंधित और अधिक जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट mohfw.gov.in से ली जा सकती है।

आपकी उदारता कई लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगी। आप दान राशि बैंक ऑफ बड़ोदा, निर्माण भवन, नई दिल्ली में खाता संख्या 26030100005232, IFSC कोड BARB0NIRDEL में जमा करवा सकते हैं। आप अपना आदात खाता चेक/डीडी "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" के नाम से निम्नलिखित पते पर भेजें:

निदेशक (अनुदान)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
कमरा सं. 414-ए, डी-विंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011
दूरभाषः 011-23063481

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार